


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ आदेश ॥

पटना-15, दिनांक-28.01.20


संख्या-12/प0-5001/2017-सा0प्र0-1523 / स्टाफ नर्स ग्रे 'ए' एवं ट्यूटर के पद पर नियुक्ति हेतु काउन्सिलिंग का कार्य करने के लिए विभागीय आदेश सं0-1311 दिनांक 24.01.2020 के द्वारा सुश्री आरती, बि0प्र0से0, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, पटना को दिनांक 27.01.2020 से 11.02.2020 तक के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना में की गयी प्रतिनियुक्ति से मुक्त करते हुए उनके स्थान पर श्रीमती नीलम कुमारी, बि0प्र0से0, को0 क0-1321/11, विशेष कार्य पदाधिकारी, विधि विभाग, बिहार, पटना (मोबाईल नं0-8809050974) को दिनांक 29.01.2020 से 11.02.2020 तक के लिए स्टाफ नर्स ग्रे 'ए' एवं ट्यूटर के पद पर नियुक्ति हेतु काउन्सिलिंग का कार्य करने के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है।

2. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के उपरान्त स्वतः अपने पदस्थापन वाले पद पर योगदान कर लेंगे।


(विमलेश कुमार झा)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-12/प0-5001/2017-सा0प्र0-1523/पटना, दिनांक-28.01.20

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, संबंधित विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने)/सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव